



छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001:2015 Certified)

उद्योग भवन, प्रथम तल, रिग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492006

CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn No. : 22AABCM6288N5ZY

दूरभाष : 0771-6621000, फ़ैक्स : 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना (मैन्यूअल पद्धति)

निविदा क्रमांक. 08/संभाग-4/2021-22/

रायपुर, दिनांक 11/01/2022

मुहरबंद निविदा फार्म "ब" (आईटम दर) में समान प्रकार के कार्य का अनुभवी Accredited Empanalled Agency के माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 11/02/2022 अपराह्न 3.30 बजे तक कार्यालय, कार्यपालन अभियंता संभाग-4 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	Consultancy work for the preparation and submission of impact Assessment Study by Accredited Consultant as per CGWA guideline for obtaining the Renewal NOC	14.00 लाख	10500/-	750/- + जी.एस.टी. 18% = 135/- कुल राशि रु. 885/-	01 माह वर्षा ऋतु सहित	समान प्रकार के कार्य का अनुभवी Accredited Empanalled Agency/ Consultant as per Approved List by CGWA/NABET	आईटम रेट

शर्त :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता, संभाग-4 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य मुख्यालय उद्योग भवन, प्रथम तल रिग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 11/02/2022 को अपराह्न 2.00 बजे तक कार्यपालन अभियंता संभाग-4 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का सावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (3) निविदा आवेदन के साथ, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर विवरणी (2019-20), पेन कार्ड एवं मान्यता प्राप्त (Accredited) प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (construction work) पर 1% उपकर (शेष) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।
- (5) **GST Will be applicable & should be paid by contractor.**
- (6) कार्य का अंतिम देयक भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अंतिम देयक का भुगतान किया जायेगा।
- (7) समान प्रकार के कार्य के अनुभवी Accredited Empanalled Agency को मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (8) निविदा प्रपत्र के साथ Special Terms and Condition संलग्न है। जिसके अनुसार कार्य संपादित कराया जाना आवश्यक होगा।
- (9) निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (10) निविदायें निगम की निविदा पेटी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (11) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
- (12) निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रुटि होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।

कार्यपालन अभियंता
(संभाग-4)